न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 35/2021

रोहिताश पुत्र नानड़राम जाति जाट, निवासी ढाकामण्डी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम रोहिताश अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 13/2021 निर्णय दिनांक 31.03.2021

उपस्थिति:—

1 श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ———— ————— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.03.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रोहिताश मु0नं0 13/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— हाल खसरा नंबर 319/176 रकबा 02.75 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 105 रकबा 8.60 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम ढाकामण्डी में स्थित है। उक्त दोनों खसरा नम्बर में से 0.20 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली बाबत दिनांक 31.03.2021 को आलौच्य निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर मौजुदा अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली दिनांक 04.03.2021 की तारीख पेशी नियत थी जिस पर अपीलांट के अभिभाषक ने जबाब नोटिस पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 18:42:55 IST
Reason: SelfAttested

इसके बाद प्रकरण में आगामी तारीख 24.03.2021 नियत की गई जिसमें अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.03.2021 नियत कर दी गई, जिसका उल्लेख पत्रावली आदेशिका में है। उक्त दिनांक 31.03.2021 को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अभिभाषक अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्शाकर अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस का कोई उल्लेख किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया।

अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस पेश कर स्थिति स्पष्ट की थी कि अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 318/176 रकबा 0.03 हैक्टर में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है जो गैर मुमकिन आबादी भूमि है तथा अपीलान्ट के मालिकाना व स्वामित्व की है। जिस पर अपीलान्ट करीब 15–20 वर्ष पूर्व से पुख्ता मकानात बनाकर सपरिवार आबाद है। जिसमें अपीलान्ट ने विधुत कनेक्शन भी ले रखा है। उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 319/176, 175, 282/173, 105 में 143 लोगों के द्वारा मकान बनाकर आबाद होने की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अपीलान्ट का नाम अंकित नही है। इससे भी यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 319/176 व खसरा नम्बर 105 में अतिक्रमण नही किया गया है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 31.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। हाल खसरा नंबर 319/176 रकबा 02.75 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 105 रकबा 8.60 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम ढाकामण्डी में स्थित है। उक्त दोनों खसरा नम्बर में से 0.20 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली बाबत दिनांक 31.03.2021 को आलौच्य निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:55 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली दिनांक 04.03.2021 की तारीख पेशी नियत थी जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक ने जबाब नोटिस पेश किया। इसके बाद प्रकरण में आगामी तारीख 24.03. 2021 नियत की गई जिसमें अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.03.2021 नियत कर दी गई, जिसका उल्लेख पत्रावली आदेशिका में है। उक्त दिनांक 31.03.2021 को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अभिभाषक अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्शाकर अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस का कोई उल्लेख किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया।

अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस पेश स्थिति स्पष्ट की थी कि अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 318/176 रकबा 0.03 हैक्टर में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है जो गैर मुमकिन आबादी भूमि है तथा अपीलान्ट के मालिकाना व स्वामित्व की है। जिस पर अपीलान्ट करीब 15–20 वर्ष पूर्व से पुख्ता मकानात बनाकर सपरिवार आबाद है। जिसमें अपीलान्ट ने विधुत कनेक्शन भी ले रखा है। उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 319/176, 175, 282/173, 105 में 143 लोगों के द्वारा मकान बनाकर आबाद होने की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अपीलान्ट का नाम अंकित नही है। इससे भी यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 319/176 व खसरा नम्बर 105 में अतिक्रमण नही किया गया है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 31.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम ढाकामण्डी की भूमि खसरा नंबर 319/176 रकबा 2.75 हैक्टर व खसरा नम्बर 105 रकबा 8.60 हैक्टर गै मु0 जोहड़ में दोनों खसरा नम्बर में रकबा 0.20 हैक्टर भूमि पर आवासी मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:55 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि गै0मु0 जोहड़ होने से नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 उनवानी सरकार बनाम रोहिताश मु0नं0 13/2021 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

29.10.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.10.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:55 IST
Reason: SelfAttested